

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं० : -09/निधि-स्कीम (0124-सड़क यूआईडीएफ-एनएचबी) 02-17/2025-

184(S)keep

पटना, दिनांक-
12/02/2026

- सेवा में, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय)/
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (संलग्न आवंटन विवरणी के अनुसार)।
- विषय:- मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष- 337-सड़क निर्माण कार्य, उपशीर्ष- 0124-सड़क (यूआईडीएफ-एनएचबी), विपत्र कोड-41-5054033370124 विषय शीर्ष- 0124.53.01- मुख्य निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।
- आदेश:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-7 में अंकित मांग पत्रों के आलोक में संबंधित प्रमंडलों / कार्यालय / निगम को आवंटन विवरणी के स्तम्भ-5 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹90,76,38,173/- (नब्बे करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ तिहत्तर रूपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित प्रमंडलों / कार्यालय / निगम का चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल आवंटित राशि आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-6 के अनुसार हो जायेगी।
- यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
 - यह व्यय मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष- 337-सड़क निर्माण कार्य, उपशीर्ष- 0124-सड़क (यूआईडीएफ-एनएचबी), विपत्र कोड-41-5054033370124 विषय शीर्ष- 0124.53.01- मुख्य निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
 - यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 227/वि., दिनांक- 28.03.2025, पत्रांक-235 /वि. दिनांक-01.04.2025 एवं पत्रांक-925/वि. दिनांक- 03.12.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
 - प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.18 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
 - आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
 - यह व्यय प्रशासनिक/ प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
 - संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं०-4099(एस.) दिनांक-11.05.2017, पत्र सं०-901(ई.) दिनांक-08.02.2018 तथा पत्र सं०- 3401(ई.) दिनांक-17.05.2018 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।
 - आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
 - आवंटन विवरणी के क्रम सं०-01 के लिए आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को पटना कोषागार, पटना स्थित पी.एल. खाता संख्या- 243 (old), जमा खाता नं०- PTC.PLA012, विपत्र कोड- K8448001200019 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।

2

11. आवंटन विवरणी के क्रम सं०-02 के लिए आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को पटना कोषागार, पटना स्थित पी.एल. खाता संख्या- 242 (old), जमा खाता नं०- PTCPLA011, विपत्र कोड- K8448001200018 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।
10. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यपण दिनांक- 28.02.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।
11. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं० : - 09/निधि-स्कीम (0124-सड़क यूआईडीएफ-एनएचबी) 02-17/2025- 184(S) ^{use A} पटना, दिनांक 12/02/2026
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सचिव कोषांग, प०नि०वि०, बिहार, पटना/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प०नि०वि०, पटना/, मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प०नि०वि० / संयुक्त सचिव (प्र०को०), प०नि०वि०, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना / संबंधित मुख्य अभियंता, प०नि०वि० / संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, प०नि०वि०/ अधीक्षण अभियंता (बजट), प०नि०वि० / कार्यपालक अभियंता (बजट -2), प०नि०वि०/ आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-9 / लेखा शाखा, प० नि० वि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका सं० : - 09/निधि-स्कीम (0124-सड़क यूआईडीएफ-एनएचबी) 02-17/2025- 184(S) ^{use A} पटना, दिनांक 12/02/26

क्रम सं०	प्रमंडल/कार्यालय का नाम (जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है)	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) के माध्यम से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के लिए	0124.53.01	0	40,00,00,000	40,00,00,000	322/ 24.01.2026 क्रमांक-1 हेतु

✓

आवंटन विवरणी

संचिका सं० : - 09/निधि-स्कीम (0124-सड़क यूआईडीएफ-एनएचबी) 02-17/2025-

पटना, दिनांक

12/02/26

क्रम सं०	प्रमंडल/कार्यालय का नाम (जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है)	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के लिए	0124.53.01	0	50,00,00,000	50,00,00,000	141/ 20.01.2026
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ	0124.53.01	0	76,38,173	76,38,173	83/16.01.2026
योग			0	90,76,38,173	90,76,38,173	
वर्तमान आवंटन शब्दों में नब्बे करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ तिहत्तर रूपये मात्र ।						

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।



(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।